# प्रेस नोट जनपद खीरी

**दिनाँक 12.11.2022**

**पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—**

**थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त कमाल पुत्र मोबीन खाँ की लगभग 60 लाख 20 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 12.11.2022 को प्र0नि थाना फूलबेहड़ मय पुलिस बल व तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 447/2022 धारा 2(1)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त कमाल पुत्र मोबीन खाँ निवासी ग्राम नरी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी की अपराध से अर्जित लगभग 60 लाख 20 हजार रुपये कीमत का मकान कुर्क किया गया।

**कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-**
ग्राम मिलपुरवा स्थित गाटा संख्या 369/0.1170 में से 0.0195 हे0 की भूमि क्रय कर उस पर बनाया गया पक्का मकान जिसकी कीमत करीब 60 लाख 20 हजार रुपये है,

**जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-**
1. तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम
2. प्र0नि0 थाना फूलबेहड़, श्री बलवन्त शाही मय पुलिस टीम

# राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत की गई कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी,श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जनपद न्यायालय खीरी में यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव आरक्षी यातायात धर्मेंद्र कुमार आरक्षी पंकज कुमार वर्मा आरक्षी यातायात मुकेश सिंह द्वारा कैंप लगाकर पूर्व में हुए चलान के सरलता पूर्वक निस्तारण हेतु लोक अदालत में आए (2245) लोगों को पंपलेट वितरण कर एवं म्यूजिक के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर  वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग  से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले शीत ऋतु/ कोहरा पड़ने के कारण दुर्घटना होने की अधिक संभावना रहती है ऐसी स्थिति में रोड के किनारे किसी भी दशा में वाहन न खड़ा करें ट्रैक्टर ट्राली व डनलप मैं पार्किंग लाइट ना होने से लोगों को दिखाई नहीं देता ऐसे में ट्रैक्टर ट्राली डनलप एवं अन्य वाहनों में रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे।

**<u>थाना सम्पूर्णानगर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा, 146 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद कर 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.11.22 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा 02 अभियुक्तों 1. बलवीर सिंह उर्फ वीरु 2. गुरुनाम सिंह उर्फ काका नि0गण कम्बौजनगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 146 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर तथा 01 अदद हीरो मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु0अ0सं0 311/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>**

1. बलवीर सिंह उर्फ वीरु पुत्र अमरजीत निवासी कम्बौजनगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत
2. गुरुनाम सिंह उर्फ काका पुत्र इन्द्र सिंह निवासी कम्बौजनगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>**

1. उ0नि0 राजेन्द्र यादव, थाना सम्पूर्णानगर
2. हे0का0 बृजमोहन
3. का0 रवि कुमार
4. का0 चमन सिंह

**<u>गिरफ्तार करने वाली एसएसबी टीम (49Bn एसएसबी)-</u>**

1. निरी0 शैलेश
2. हे0का0 एम0बी0बी0 चौधरी
3. का0 दिलीप कुमार नागरे
4. का0 बोडरवे असरोवा

# थाना पलिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी व 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 12.11.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 562/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 5(J)2/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अरून जयसवाल पुत्र महेश निवासी गोविन्दनगर कालोनी थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी व मु0अ0सं0 52/19 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त राहुल पुत्र आदिराम नि0 ग्राम बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण**

1. अरून जयसवाल पुत्र महेश निवासी गोविन्दनगर कालोनी थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2. राहुल पुत्र आदिराम नि0 ग्राम बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. नि0अ0 आलोक कुमार धीमान, थाना पलिया
2. उ0नि0 अजीत कुमार
3. उ0नि0 अजीत कुमार मिश्र
4. का0 हरिओम मौर्य
5. का0 मनदीप
6. का0 पुष्पेन्द्र कुमार
7. का0 सचिन कुमार
8. का0 दीपक कुमार

# <u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा, 04 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 12.11.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. पट्टेलाल पुत्र लालजीत निवासी रसूलपुर थाना पसगवां खीरी को सम्बन्धित मु0अ0सं0 575/2018 धारा 60(2) आब0अधि0 2. ईश्वरदीन पुत्र ठाकुर प्रसाद उर्फ ठकुरी निवासी रसूलपुर तफ्फुज्जुल हुसैन थाना पसगवां खीरी को सम्बन्धित मु0अ0सं0 325/2018 धारा 60(2) आब0अधि0 3. सज्जन पुत्र जुम्मन निवासी भौनापुर थाना पसगवां खीरी को सम्बन्धित वारंट वाद संख्या 381/2016 एनसीआर नं0 262/2013 धारा 323/504 भा0द0वि0 4. जुम्मन पुत्र बलदेव निवासी भौनापुर थाना पसगवां खीरी को सम्बन्धित वारंट वाद संख्या 381/2016 एनसीआर नं0 262/2013 धारा 323/504 भा0द0वि0 को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>**

1. पट्टेलाल पुत्र लालजीत निवासी ग्राम रसूलपुर थाना पसगवां जनपद खीरी
2. ईश्वरदीन पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी ग्राम रसूलपुर तफ्फुज्जुल हुसैन थाना पसगवां जनपद खीरी
3. सज्जन पुत्र जुम्मन निवासी ग्राम भौनापुर थाना पसगवां जनपद खीरी
4. जुम्मन पुत्र बलदेव निवासी ग्राम भौनापुर थाना पसगवां जनपद खीरी

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>**

1. उ0नि0 नवीन कुमार द्विवेदी, थाना पसगवां
2. हे0का0 उमाशंकर सिंह
3. का0 सुरेश कुमार
4. का0 विकास कुमार

## थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 1460/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना फरधान पर मु0अ0सं0 504/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

## वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अ0सं0 1342/22 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र सहीद अहमद निवासी महेवागंज थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 170 लीटर अवैध शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **170 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **09 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किए गए।